उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-4/2023/ए-2-145 /दस-2023
लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के रेमिटांस विभागों के खण्डों में सी.सी.एल. प्रणाली के स्थान पर कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/04/2022 को उच्चंत मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण हेतु वित्त(लेखा) अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2022/ए-2-133/दस-2022-10(9)/95 दिनांक 18 अगस्त, 2022 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गये थे । उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 3(क) में अवशेषों के निस्तारण हेतु निम्नवत व्यवस्था की गई थी-

‘’3(क)- वर्क्स/रेमिटान्स विभागों के दिनांक 01/04/2022 को उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु तीन माह (अधिकतम 30 नवम्बर, 2022 तक) की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।‘‘

2. वर्क्स/रेमिटान्स विभागों के दिनांक 01/04/2022 रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/ समायोजन हेतु तीन माह (अधिकतम 30 नवम्बर, 2022 तक) की समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात भी समय-समय पर वर्क्स/रेमिटान्स विभागों द्वारा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम , उ0प्र0, प्रयागराज के स्तर से भी अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 समाप्त होने के उपरान्त वर्क्स/रेमिटान्स विभागों के उच्चंत मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेष स्टाक के निस्तारण/समायोजन हेतु वित्त विभाग को अर्धशासकीय पत्र दिनांक 31/07/2023 को प्रेषित किया गया है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत वर्क्स/रेमिटान्स विभाग द्वारा दिनांक 01/4/2022 को उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण /समायोजन हेतु तीन माह की समय सीमा (अधिकतम 30 नवंबर 2022 तक) समाप्त हो जाने के पश्चात अवशेष सामग्री का मदवार (धनराशि सहित) विवरण प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में मात्र दो विभागों यथा लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग से अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 समाप्त होने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उपरान्त अवशेष सामग्री की कुल धनराशि से सम्बंधित सूचनाएं/प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं , जिसका विवरण निम्नवत है-

- लोक निर्माण विभाग अवशेष स्टाक की कुल धनराशि रू0 1,08,45,04,073.85
- लघु सिंचाई विभाग अवशेष स्टाक की कुल धनराशि रू0 28,65,39,000.00

4. अतः सम्यक विचारोपरांत लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा सूचित अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु निर्धारित समय सीमा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 समाप्त होने के उपरान्त अवशेष सामग्री के निस्तारण/समायोजन हेतु निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

(क) लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा सूचित अवशेषों के निस्तारण/ समायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 समाप्त होने के उपरान्त अवशेष सामग्री की कुल धनराशि को उच्चंत मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेष स्टाक की कुल धनराशि क्रमशः रू0 1,08,45,04,073.85 तथा रू0 28,65,39,000.00 के निस्तारण/ समायोजन की अधिकतम समय-सीमा दिनांक 31/03/2024 तक निर्धारित की जाती है, जिसके उपरान्त समय-सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी।

(ख) शासन द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय-सीमा तक लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग अपने-अपने अवशेषों का निस्तारण/समायोजन अवश्य कर लें तथा इसका मासिक लेखा महालेखाकार को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेंगे ।

(ग) उक्त अवधि में लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा अवशेषों के निस्तारण/ समायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 समाप्त होने के उपरान्त स्टॉक लेखे में उपलब्ध समस्त सामग्री का नियमानुसार निर्गमन एवं उसका व्यय सम्बन्धित कार्यों पर यथास्थिति वास्तविक आधार पर भारित किये जायेंगे तथा इसका लेखांकन निर्धारित प्रोफार्मा पर नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जिन कार्यों पर अवशेष स्टॉक सामग्री निर्गत की जा रही है, उन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उस सीमा तक आवंटन/बजट उपलब्ध है । इस प्रकार जितनी धनराशि अवशेष स्टॉक लेखे से सम्बन्धित कार्यों पर निर्गत/भारित की जायेगी, उतनी धनराशि कोषागार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध आवंटन से किसी भी दशा में आहरित न की जाये ।

(घ) लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि अवशेषों के निस्तारण/समायोजन के लेखांकन में पूर्ण शुद्धता एवं पारदर्शिता हो तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जिन कार्यों पर अवशेषों की बुकिंग/लेखांकन किया जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का दोहराव (Duplicacy) न हो।

(ड.) कोषागारों को बजटीय प्रणाली के अन्तर्गत भेजे जाने वाले बिलों की शुद्धता एवं पारदर्शिता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड एवं आहरण वितरण अधिकारी का है। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोषागारों को भेजे जाने वाले बिलों में किसी प्रकार की अवशेष धनराशि (बिंदु क तथा ग के अनुसार) सम्मिलित नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संलग्न किया जायेगा।

5. शासन द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय सीमा तक लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अतिरिक्त अन्य वर्क्स/रेमिटान्स विभागों द्वारा उच्चंत मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु अवशेष स्टाक की कुल धनराशि का विवरण शासन स्तर पर नहीं उपलब्ध कराया गया है । इसलिए यह विनिश्चय हो गया है कि लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अतिरिक्त अन्य वर्क्स/ रेमिटान्स विभागों में उच्चंत मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु अवशेष स्टाक नहीं है। इसके उपरांत यदि किसी वर्क्स/रेमिटान्स विभागों में अवशेष की स्थिति पायी जाती है, तो इसके लिए सम्बंधित विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त

संख्या-4/2023/ ए-2-145/दस-2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माणविभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित व्यवस्था से समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों, उ0प्र0 को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर 208001।

5- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।

6- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0।

8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

9- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

10- अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

11- विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।